न्यायालय अतिरिक्त जिलाकलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी–विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 6/2024 दायर दिनांक 11.07.2024

श्री श्यामलाल मीणा पिता किशनलाल मीणा निवासी मोतीपुरा, छायण तहसील सुहागपुरा

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत वीरपुर जरिये सरपंच
2. तहसीलदार सुहागपुरा
3. जाली पुत्री हवजी पत्नि भैरिया मीणा निवासी भचेटिया हाल मुकाम वीरपुर

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निरस्त नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 20.12.2023 ग्राम पंचायत वीरपुर आराजी ग्राम पोटलापाल पटवार हल्का वीरपुर तहसील सुहागपुरा

उपस्थितः– 1–श्री अशोक कुमार दक अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 15.05.2025

अपीलान्ट की ओर से अपील विरूद्व रेस्पोडेण्ट्स निम्न प्रकार पेश की हैः–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पोटलापोल पटवार हल्का वीरपुर तहसील सुहागपुरा की आराजीयात नवीन खाता संख्या 13 की आराजी नं. 56, 57, 58, 59, 60 क्षेत्रफल क्रमशः 0.40, 0.27, 0.62, 0.38, 0.40 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.700 हैक्टर जो कि जाली पुत्री हवजी पत्नि भैरिया मीणा निवासी भचेटिया हाल मुकाम वीरपुर तहसील सुहागपुरा व उनके शामलाती खातेदारान के नाम से दर्ज होकर जाली रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण 1/28 हिस्सा अपीलांट द्वारा जाली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया गया। जिसका पंजीयन जाली द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 23.08.2023 को उप पंजीयक कार्यालय सुहागपुरा पर करा दिया जिसके पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 में पृष्ठ संख्या 170 क्रम संख्या 202303479100107 पर पंजीबद्व किया गया है।
2. यह कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट द्वारा अपने नाम से 1/28 हिस्से का इंतकाल खुलाने हेतु पटवारी हल्का वीरपुर को विक्रय पत्र दिया गया जिस पर पटवारी हल्का वीरपुर द्वारा जॉच कर सही पाए जाने से नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 20.12.2023 दर्ज कर इंतकाल प्रोसेस किया गया, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना किसी आधार के उक्त नामान्तरण संख्या 22 को इस नोट के साथ खारीज कर दिया गया कि दो भाईयों के मध्य विवाद है। जबकि उस विवाद से जाली के 1/28 हिस्से का कोई लेना देना नहीं है। कानूनन नियमानुसार वो उसका 1/28 हिस्सा किसी को विक्रय करने की हक अधिकारिणी है खाते में खाते में रेवेन्यू रेकार्ड में किसी प्रकार का स्टे व आदेश भी रोक बाबत् नहीं है ना ही कोई किसी प्रकार का विवाद है। जानबुझ कर अपीलांट को परेशान करने की नियत से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा कोरम में नामांतरण संख्या 22 को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

किया गया है जो कतई न्यायोचित कार्य नहीं है। इंतकाल खोलने में कोई किसी प्रकार की कोई रूकावट नहीं है। पंजीयनशुदा दस्तावेज के आधार पर नियमानुसार इंतकाल खोला जाना चाहिए।

3. यह कि अपीलांट को दिनांक 03.05.2024 को उक्त इंतकाल निरस्ती की सत्यापित प्रति जारी की गई तब अपीलांट को उक्त इंतकाल निरस्ती की जानकारी हुई व नकल इंतकाल प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। सबूत में इंतकाल नम्बर 22, जमाबंदी व रजिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि इंतकाल संख्या 22 जो कि ग्राम पंचायत वीरपुर द्वारा बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है उसको अपीलांट के नाम से खुलवाने जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। नियत दिनांक को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के द्वारा क्रयशुदा भूमि का रेस्पोडेण्ट क्रमांक 1 ने विवाद होने का हवाला देकर खारिज किया। रेस्पोडेण्ट क्रमांक 1 ने ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्ताव रख कर ही कोरम के द्वारा प्रस्ताव पास करने पर नामान्तरण खारिज किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर से स्वीकृत नामान्तरण ग्रामसभा में रखी जाकर कोरम के साथ तथ्यों को स्वीकार कर पारित की जाती है। ग्रामसभा एक विधिक संस्था है जिसका निर्णय कानूनन मान्य होता है। प्रार्थी ने यह अवगत नहीं करवाया कि उक्त नामान्तरण ग्रामसभा में पारित हुआ था या नहीं। अबगर ग्रामसभा में पारित नहीं होता तो उक्त नामान्तरण खारिज योग्य होता। जबकि प्रार्थी यह साबित नहीं कर पाया कि उक्त नामान्तरण ग्रामसभा में नहीं रखा जाकर एकतरफा रेस्पोडेण्ट क्रमांक 1 सरपंच ग्राम पंचायत वीरपुर द्वारा पारित किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने भाईयों के आपसी विवाद का हवाला देकर खारिज किया। प्रार्थी ने उनको भी पक्षकार नहीं बनाया जिनसे वास्तविक वस्तुस्थिति जानी जा सकती थी। अतः आवश्यक पक्षकार न होने एवं वाद साबित करने में विफल रहने से पत्रावली खारिज की जाती है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:52 IST
Reason: SelfAttested

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़